संख्या–   / XXVII(1)/2005

प्रेषक,

के0सी0मिश्र,
अपर सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1   देहरादून,दिनांक: 03 फरवरी,2005

विषय: 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2004–2005 के लिए समस्त ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–102/ XXVII(1)/2005,दिनांक 29 1 2005 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में वर्ष 2004–2005 की संलग्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 22,80,06,753(बाईस करोड़ अस्सी लाख छः हजार सात सौ तिरेपन मात्र) की धनराशि के संक्रमण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1 इस धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

2 ग्राम पंचायतों के संबंध में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी।

3 ग्राम पंचायतों को धनराशि का संक्रमण रेलवे स्टेशन से विकास खण्ड मुख्यालय की दूरी के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार वितरित किया जायेगा।

4 ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् एक माह में संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त करायी जायेगी।

5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून,प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उत्तरांचल शासन तथा सचिव,पंचायती राज,उत्तरांचल शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र

के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण(कराये गये कार्य का नाम,व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा। उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

3– संक्रमित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यः–अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा,प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें,पेयजल,मार्ग प्रकाश व्यवस्था/सफाई जिसमें नालियों एवं अन्य कार्य सम्मिलित है,शमशान घाट व कब्रिस्तान आदि का रख–रखाव,जल सुविधाओं तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के लिए दिया गया है। सामान्यतः इन अनुदानों से वह योजनाएं पूरी की जानी चाहिए जो कि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की अन्य सेवाओं से आच्छादित नहीं है।

4– उक्त आवंटित की जा रही धनराशि को जिला पंचायत राज अधिकारी अपने अशासकीय पी0एल0ए0/पद नाम से बैंक में खुले खाते से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

5– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :–

1. ग्राम पंचायतों को उनके खण्ड मुख्यालय की रेलवे स्टेशन से निकटतम दूरी के आधार पर निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा। (1) 0–49 कि0मी0 (2) 50–99 कि0मी0 (3) 100–149 कि0मी0 (4) 150–199 कि0मी0 और (5) 200 कि0मी0 और उससे अधिक। प्रत्येक ग्राम पंचायत के जनसंख्या संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए धनराशि का विवरण वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायतों को वितरित की जाने वाली राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–
श्रेणी–1 की ग्राम पंचायतों को रू0 25.25 प्रति व्यक्ति की दर से,श्रेणी–2 की ग्राम पंचायतों को रू0 37.89 प्रति व्यक्ति की दर से,श्रेणी–3 की ग्राम पंचायतों को रू0 50.50 प्रति व्यक्ति की दर से,श्रेणी–4 की ग्राम पंचायतों को रू0 63.13 प्रति व्यक्ति की दर से तथा श्रेणी–5 की ग्राम पंचायतों को रू0 75.76 प्रति व्यक्ति की दर से।

3. एकल ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त संक्रमण। ऐसी ग्राम पंचायतों,जिसकी ग्राम पंचायतों का गांव मोटर योग्य सड़के से 10 कि0मी0 से अधिक या अपने ब्लाक मुख्यालय से 50 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हो,को ऐसी एकाकी ग्राम पंचायतों को अलग सूची में रखा जायेगा। इसके लिए क्षेत्र पंचायत स्तर पर समस्त ग्राम पंचायतों को मिलने वाले सामान्य प्रति व्यक्ति संक्रमण के अतिरिक्त रू0 12.12 प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।

6– पूर्व में आवंटित धनराशि की अवशेष–नैनीताल रू0 2146831 तथा अल्मोड़ा रू0 931899 वित्तीय वर्ष 2004–05 में आवंटित मानते हुए व्यय की जायेगी।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अंतर्गत लेखा–शीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–198–ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोज़नागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–11वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या–133(1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,माजरा,सहारनपुर रोड,देहरादून।
2. सचिव,पंचायती राज,उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक,पंचायती राज,उत्तरांचल,देहरादून।
4. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7. निदेशक,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय व्यय विभाग,वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक–11,पंचल तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स,नई दिल्ली।
8. एन0आई0सी0,देहरादून।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्या–133 /XXVII(1)/2005,दिनांक 03 फरवरी,2005 का संलग्नक

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष

2004–2005 के लिए अनुदान का संकमण

(धनराशि रू0 में)

कं0सं0	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या	विकास खण्डों की संख्या	वार्षिक अनुदान
1	2	3	4	5
1	पौड़ी–गढ़वाल	585550	15	24940651
2	टिहरी गढ़वाल	481772	9	21810493
3	चमोली	285784	9	20835403
4	उत्तरकाशी	219260	6	12679450
5	रूद्रप्रयाग	195139	3	12614708
6	देहरादून	486210	6	14144384
7	हरिद्वार	776346	6	19392959
8	नैनीताल	348198	8	8992559
9	ऊधमसिंह नगर	589002	7	14915604
10	बागेश्वर	220684	3	15590429
11	अल्मोड़ा	562509	11	27385995
12	पिथौरागढ़	381004	8	26902306
13	चम्पावत	170399	4	7801812
	योग :–	5301857	95	228006753

(रूपया बाईस करोड़ अस्सी लाख छः हजार सात सौ तिरेपन मात्र)

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव,वित्त।